न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0) 56

3573
8.7.14

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

B.201

R.2252-III/14

1. बाबूलाल सिंह पिता केशरी सिंह
2. केशरी सिंह पिता बेनी सिंह

दोनो निवासी ग्राम तिलखन तहसील सिरगौर जिला रीवा म0प्र0

..................*निगरानीकर्ता*

बनाम

सत्यभान सिंह पिता रामदास सिंह निवासी ग्राम तिलखन जिला रीवा म0प्र0

..........................*गैरनिगरानीकर्ता*

श्री. प्रभाराव सिंह .....एड
द्वारा आज दिनांक 8.07.14 ... को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

21.7.14

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत्त बैकुन्ठपुर तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 15ए/2/10–11 एवं 6–ए–5/10–11 आदेश दिनांक 30.08.2011

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त प्रकरण निम्न प्रकार है :–

01. यह कि ग्राम तिलखन पटवारी हल्का तिलखन राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुन्ठपुर तहसील सिरमौर अन्तर्गत स्थित भूमि खसरा क्र0 2121/1 रकवा 1.09 एकड़ म0प्र0 शासन आबादी भूमि थी। जिसमें गुलाब सिंह का आबादी निस्तार 0.25 एकड़ सत्यभान सिंह का आबादी स्थित 0.27 एकड़ केशरी सिंह मोतीलाल सिंह का मकान व निस्तार 0.57 एकड़ पर कब्जा दखल एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 2252-दो/2014 निगरानी जिला- रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
06/4/17	यह निगरानी नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 15 अ-12/10-11 तथा 6 अ-5/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-8-2011 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर तथा आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने से परिलक्षित है कि नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर के दो प्रकरण कमशः क्रमांक 15 अ-12 / 10-11 तथा क्रमांक 6 अ-5/2010-11 में पारित आदेशों के विरुद्ध इस न्यायालय में एक निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रत्येक प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथक प्रथक दो निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये थी, क्योंकि तहसीलदार का एक प्रकरण मद अ-12 में दर्ज होकर सीमांकन विचारित हुआ है तथा दूसरा प्रकरण मद अ-5 में दर्ज होकर नक्शा तरमीम का है। अतएव प्रस्तुत निगरानी इन्हीं कारणों से अप्रचलन-योग्य है।	

प्रकरण क्रमांक 2252-बी/2014 निगरानी

नायब तहसीलदार वैकुण्ठपुर तहसील सिरगौर के प्रकरण कमांक 15 अ-12/10-11 के अवलोकन पर पाया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर भूमि के सीमांकन किये जाने हेतु नियत तिथि की सूचना मेदिया कास्तकारों को दिनांक 12-6-11 दी गई है जिस पर बाबूलाल सिंह के हस्ताक्षर हैं जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि बाबूलाल सिंह को सीमांकन की जानकारी समयसमय नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने एंव अप्रचलनशील पाये जाने के कारण इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सेदस्य